

**NGT/CZB/2021/
National Green Tribunal
Central Zonal Bench,
IIIrd Floor, State Information Commission Building
Arera Hills, Bhopal – 462011**

The following public complaints received from different persons /organisations during the month of December, 2021 are found to be not in conformity with NGT (Practice and Proceedings) Rule, 2011 framed under NGT Act, 2010. Hence, in light of Circular/Order No. NGT(PB)/Judicial-II/196/70 dated 03.02.2016 no judicial proceeding can be initiated in respect of such public complaints. These Complainants/Applicant/Aggrieved persons are at liberty to file Petition/Application in prescribed format, along with prescribed court fees for initiation of judicial proceeding. The above referred Act, Rules and the User Manual for e-filing is also available on the website of NGT (<https://greentribunal.gov.in/>).

In case any further clarification is required, with regard to filing, assistance may be sought from the Help Desk of Filing Section of “National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal” at 0755-2579745 during the working hours (9:30 to 5:00PM).

Sr. No	Inward Diary No.	Date	Name and Address	Subject
1	771	07.12.21	IGP/Principal, CIAT School, CRPF, Shivpuri, M.P.	Reg. Heavy Air Pollution from the Garbage dumping ground barodi.
2	773	07.12.21	भैय्या साहब यादव, ग्राम मख्वा, तहसील- खनियाधाना, जिला- शिवपुरी, म.प्र.	ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बने नवीन वृक्षारोपण (स्थानीय नाम धाऊखाना ग्राम पुरैनी रेंज पिछोर जिला शिवपुरी में वीट ग्राई श्री शिवकुमार शर्मा द्वारा भारी गड़बड़ी एवं संबंधित स्टाम्प द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने बावत्।
3	779	09.12.21	निखिल कारन्दीकर – ई-मेल दिनांक 08.12.2021	Scam technology called blackhole which is environmentally harmful.
4	780	09.12.21	कुलदीप अग्रवाल – ई-मेल दिनांक 08.12.2021	फोरेन सड़क के निर्माण में पर्यावरण को पहुँचाए गए नुकसान से संबंध में।
5	788	10.12.21	मनोज शर्मा कौशल, आर.टी.आई. एक्टिविस्ट एवं पत्रकार	एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा काटे गए पेड़ों और वृक्षारोपण की जांच करने बावत्।
6	787	10.12.21	आमजन कैलादेवी – रमेश चन्द, बड़ी धर्मशाला के पास, कैलादेवी, जिला करौली, राजस्थान	मूल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में एन.जी.ओ. भोपाल के आदेश दिनांक 17.10.2019 व जिला कलेक्टर करौली के आदेश दिनांक 19.10.2019 द्वारा श्री नवल किशोर शर्मा पुत्र श्री चिरंजी लील शर्मा के हटाये गये पक्के चबूतरे के स्थान पर पुनः दुगलर अतिक्रमण कर किये पक्के निर्माण को हटवाये जाने बावत्।
7	803	15.12.21	शेख निजामउद्दीन, मण्डल उपाध्यक्ष, ग्राम व पोस्ट दौराना, तह. राघौगढ़, जिला गुना	ग्राम सांकरा तह. आरोन जिला गुना में तहसील की शासकीय भूमि सर्वे क्र.22 पर दुतारा हाँक कर गेहूँ बोने एवं शासकीय कुएं पर कब्जा करने बावत्।
8	798	15.12.21	सैय्यद ज़फर अली, म.न. 48, काज़ी कैम्प, बाफला कालोनी,	बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल में सूचना के अधिकार अधिनियम की अवहेलना की जा रही